संख्या-1323/2026/671/22-2-2026-17(351)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री शिव दयाल (दिनांक 11.09.2025 तक आयु 73 वर्ष 05 माह 10 दिन है), अकौना, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। वादी की पुत्री विनीता की शादी महिपाल के पुत्र से हुई थी वादी की पुत्री का गांव के ही अरविन्द से मेलजोल हो गया था। दिनांक 30.10.2005 को रात में अरविन्द के साथ भाग गयी, इसी कारण दिनांक 07.11.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पुत्री व अरविन्द की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-107/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के दण्डादेश दिनाक 25.01.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की पूरी सम्भावना होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरुद्ध रखा जाना न्यायोचित होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बंदी द्वारा दिनांक 11.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 03 माह 10 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 07 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 11.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 03 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 07 माह, 19 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल सदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध (02 लोगों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम (बन्दी संख्या-69/2025) पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1323/2026/671(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।